



- डीआईजी बस्ती द्वारा रेंज बस्ती के जनपदों के परिवार परामर्श केंद्र के अधिकारियों, पर्यवेक्षण अधिकारियों / क्षेत्राधिकारियों के साथ की गयी समीक्षा बैठक।
- संबंधित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 07.03.2026 को डीआईजी बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री संजीव त्यागी द्वारा परिवार परामर्श केंद्र के अधिकारियों, पर्यवेक्षण अधिकारियों / क्षेत्राधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित कर संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

डीआईजी महोदय ने निर्देशित किया कि पारिवारिक विवादों को केवल कानूनी दृष्टिकोण से न देखकर, सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाए। प्राथमिकता परिवारों को बिखरने से बचाने की होनी चाहिए। दोनों पक्षों की बात अत्यंत धैर्य और संवेदनशीलता के साथ सुनें। आपसी सहमति के आधार पर अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण (Settlement) सुनिश्चित करें। घरेलू हिंसा में प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु काउंसलर की सहायता लिया जाए। प्राप्त प्रकरणों में न्याय/निष्पक्षता पर विशेष बल दिया जाए। सुनिश्चित करें कि प्राप्त प्रकरणों में पारदर्शी निष्पक्षता परिलक्षित हो तथा प्राप्त प्रकरणों में समझौता हो जाने के बाद पीड़ित से SOP के अनुसार फीडबैक लिया जाए।

डीआईजी महोदय ने कहा कि "पुलिस का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि समाज में शांति और परिवारों में सामंजस्य स्थापित कराना भी है।

इस दौरान तीनों जिलों के परिवार परामर्श केंद्र के प्रभारी, पर्यवेक्षण अधिकारी/ क्षेत्राधिकारी उपस्थित रहे।

मीडिया सेल
परिक्षेत्र बस्ती